

सिविल जज (अवर खण्ड)/त्वरित न्यायालय, न्याय कक्ष
संख्या - 04, बुलंदशहर।

दिनांक 16.02.2023

वाद संख्या - 276/2022 धारा 138 N.I.Act थाना
अहमदगढ बुलंदशहर में आवेदक सुखपाल की ओर से द्वारा
अधिवक्ता जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त की ओर से कथन किया गया। उनके
द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया उन्हें झूठा
फँसाया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

जमानत में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त है।
अतः तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस
न्यायालय के मतानुसार अभियुक्त द्वारा अंकन 20000/-
रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभु
दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त किया जाए।

प्रभारी अधिकारी
न्यायालय चतुर्थ सिविल जज (अवर खण्ड)
एफ०टी०सी० /न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बुलंदशहर।